न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /2016 विविध

1. श्रीमती फूलमती बाई पत्नी स्व. कुंजनलाल
2. बंशीलाल पुत्र स्व. कुंजनलाल
3. श्रीमती लीलाबाई पत्नी स्व. जमुनाप्रसाद
   निवासीगण करंजिया तह. व जिला डिण्डौरी
4. श्रीमती शीला बाई पत्नी हीरालाल
   निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील डिण्डौरी
5. श्रीमती गिरजा बाई पत्नी सुक्कन
   निवासी डिण्डौरी तहसील व जिला डिण्डौरी
6. कु. रश्मि बाई पुत्री स्व. कुंजनलाल
   निवासी करंजिया तहसील व जिला डिण्डौरी

.... आवेदकगण

विरूद्ध

छोटेलाल पुत्र फागूलाल पनिका
निवासी ग्राम करंजिया तह.व जिला डिण्डौरी

.... अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

1- यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 16.02.2016 में प्रथम पृष्ठ के ऊपर से लाईन नं. 2 में कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर के स्थान पर आयुक्त सागर संभाग, सागर टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है।

2- यह कि, उक्त आदेश के पृष्ठ 2 पर लाईन नं. 1 में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के स्थान पर आयुक्त सागर संभाग, सागर टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है। इसी प्रकार पृष्ठ 2 पर पद क्रं. 2 में लाईन नं. 2 में श्रीमती जढियाबाई के स्थान पर जनियाबाई टंकन त्रुटि से अंकित हो गया ।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9024–एक/16 जिला –डिण्डोरी

दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश
8/4/16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित होकर आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व मण्डल का प्रकरण कमांक निगरानी 272–दो/09 में पारित आदेश दिनांक 16.2.16 प्रथम पृष्ठ के ऊपर से लाईन न0 2 में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के स्थान पर आयुक्त सागर संभाग सागर टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 2 पर लाईन न0 1 में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के सीान पर आयुक्त सागर संभाग सागर टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है। इसी प्रकार पृष्ठ 2 पर पद कमांक–2 में लाईन न0 2 में श्रीमती जढियाबाई के स्थान पर जनियाबाई टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ 3 पर पद कमांक 4 में लाईन न0 2 में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के सीान पर आयुक्त सागर संभाग सागर टंकण त्रुटि से अंकित हो गया हैं इसी प्रकार पद कमांक 4 में ही पृष्ठ 3 पर अंतिम लाईन में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के स्थान पर आयुक्त सागर संभाग सागर टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है। यह कि आदेश के पृष्ठ 5 पर पद कमांक 6 में लाईन न0 12 एवं 14 में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के स्थान पर आयुक्त सागर संभाग सागर टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है। इसी प्रकार पृष्ठ 5 पर पद कमांक 6 में लाईन न0 2 में कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर के स्थान पर

आयुक्त सागर संभाग सागर टंकन त्रुटि से अंकित हो गया है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर आयुक्त सागर संभाग सागर के स्थान पर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर लिखा जावे।

2— आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाकर जहां जहां आयुक्त सागर संभाग सागर टंकण त्रुटि से अंकित हुआ है वहां पर कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर पढ़ा जावे। इसी प्रकार पृष्ठ पर पद क0 2 में लाईन न0 2 में श्रीमती जनियाबाई के स्थान पर जढ़ियाबाई पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग मानी जावेगी।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य